

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

ई. सीता कान्त झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),  
झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक :-

**विषय:-जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान संगठन राँची के पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान के अंतर्गत बौध स्पीलवे, नहर, नहर संरचनाओं आदि का रूपांकण तथा जलीय आंकड़ों का संकलन एवं जलीय Parameter का निर्धारण, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के स्वरूप का निर्धारण, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक परीक्षा का संचालन आदि का कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के जलापूर्ति हेतु जलीय संरचनाओं के रूपांकण आलेख एवं सिंचाई योजनाओं के D.P.R. की Vetting का कार्य भी इस संगठन द्वारा किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि इस संगठन में मुख्य अभियंता स्तर के एक पदाधिकारी के अधीन चार अधीक्षण अभियंता तथा उनके अधीन कार्यपालक अभियंता/ सहायक अभियंता/ कनीय अभियंता का पद सृजित है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :-

| क्रमांक | पदनाम                      | स्वीकृत बल | अभ्युक्ति |
|---------|----------------------------|------------|-----------|
| 1       | 2                          | 3          | 4         |
| 1       | मुख्य अभियंता              | 01         |           |
| 2       | अधीक्षण अभियंता            | 04         |           |
| 3       | कार्यपालक अभियंता (असैनिक) | 14         |           |
| 4       | सहायक अभियंता (असैनिक)     | 42         |           |
| 5       | सहायक अभियंता (यॉत्रिक)    | 04         |           |
| 6       | कनीय अभियंता               | 38         |           |
|         | <b>योग</b>                 | <b>103</b> |           |

वर्तमान संगठनात्मक स्वरूप में कनीय स्तर पर अत्यधिक कार्यबल का प्रावधान है अतः इसे पुनर्गठित करते हुए मुख्य अभियंता के अधीन चार निदेशालय का गठन करने का निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया जाता है कि सहायक अभियंता (असैनिक) के 17 पद, सहायक अभियंता (यॉत्रिक) के 02 पद, कनीय अभियंता (असैनिक) के 23 पद को वर्तमान में सुसुप्तावस्था में रखा जाय। उक्त पदों को वर्तमान में सुसुप्तावस्था में रखने का कारण यह है कि भविष्य में संगठन के द्वितीय एवं अंतिम चरण के पुनर्गठन के समय इनकी सेवाएँ पुनः प्राप्त की जा सकें।

रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के संगठनात्मक पुनर्गठन के फलस्वरूप विभिन्न कार्यरत कार्यालयों के पदनाम, मुख्यालय एवं नियंत्री पदाधिकारी से संबंधित स्थिति निम्नवत् है।

रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची का पुर्नगठन

[illegible]



| 1 | 2                                                                        | 3              | 4                                                                           | 5                                                                           | 6             | 7                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | कनीय अभियंता<br>नहर एवं नहर संरचना<br>अंचल , राँची                       | 1<br>(असैनिक)  | अधीक्षण अभियंता,<br>नहर एवं नहर संरचना<br>अंचल , राँची                      | कनीय अभियंता<br>रूपांकण निदेशालय<br>राँची।                                  | 1<br>(असैनिक) | अधीक्षण अभियंता<br>—सह— निदेशक,<br>रूपांकण निदेशालय<br>राँची।                                 |
| 3 | कनीय अभियंता<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची   | 1<br>(असैनिक)  | अधीक्षण अभियंता,<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची  | कनीय अभियंता<br>केन्द्रीय रूपांकण एवं<br>जल विज्ञान प्रमंडल,<br>राँची       | 1<br>(असैनिक) | कार्यपालक अभि.<br>केन्द्रीय रूपांकण<br>एवं जल विज्ञान<br>प्रमंडल, राँची                       |
| 4 | कनीय अभियंता<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची   | 5<br>(असैनिक)  | अधीक्षण अभियंता,<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची  | कनीय अभियंता<br>जल विज्ञान निदेशालय<br>राँची।                               | 5<br>(असैनिक) | अधीक्षण अभियंता<br>—सह— निदेशक,<br>जल विज्ञान<br>निदेशालय राँची।                              |
| 5 | कनीय अभियंता,<br>समग्र योजना, अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-2, देवघर | 3<br>(असैनिक)  | अधीक्षण अभियंता,<br>समग्र योजना, अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-2, देवघर | कनीय अभियंता<br>जल विज्ञान प्रमंडल-2,<br>देवघर                              | 3<br>(असैनिक) | कार्यपालक<br>अभियंता,<br>जल विज्ञान<br>प्रमंडल-2, देवघर                                       |
| 6 | कनीय अभियंता<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची   | 2<br>(असैनिक)  | अधीक्षण अभियंता,<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची  | कनीय अभियंता<br>योजना समन्वय एवं<br>प्रौद्योगिकी निदेशालय,<br>राँची।        | 2<br>(असैनिक) | अधीक्षण अभियंता<br>—सह— निदेशक,<br>योजना समन्वय एवं<br>प्रौद्योगिकी<br>निदेशालय, राँची।       |
| 7 | कनीय अभियंता<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची   | 2<br>(असैनिक)  | अधीक्षण अभियंता,<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची  | कनीय अभियंता<br>बौध सुरक्षा एवं बाढ़<br>नियंत्रण रूपांकण<br>निदेशालय राँची। | 2<br>(असैनिक) | अधीक्षण अभियंता<br>—सह— निदेशक,<br>बौध सुरक्षा एवं<br>बाढ़ नियंत्रण रूपां.<br>निदेशालय राँची। |
| 8 | कनीय अभियंता<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची   | 8<br>(असैनिक)  | अधीक्षण अभियंता,<br>समग्र योजना अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-1, राँची  | सुसुप्तावस्था                                                               |               |                                                                                               |
| 9 | कनीय अभियंता,<br>समग्र योजना, अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-2, देवघर | 15<br>(असैनिक) | अधीक्षण अभियंता,<br>समग्र योजना, अन्वेषण<br>एवं जल विज्ञान<br>अंचल-2, देवघर | सुसुप्तावस्था                                                               |               |                                                                                               |

इस संगठनात्मक पुर्नगठन में एक भी नए पद के सृजन का प्रस्ताव नहीं है। अतः इस पुर्नगठन से स्थापना मद में किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

इस प्रस्ताव पर माननीया विभागीय मंत्री एवं सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

( सीता कान्त झा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

( सीता कान्त झा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

6915

राँची, दिनांक :-

21-11-13

प्रतिलिपि :-माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड राँची (दो प्रतियों में)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव मंत्रिमंडल (निगरानी), विभाग झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 06, 07 यो., 07ब., 08ए., 08बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( सीता कान्त झा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)